

प्रेषक,

सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
प्राचार्य,
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक - 01/10/15

विषय :- संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के संविदा अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-17/ए 3-16/2006-189 (17) दिनांक-01.04.2015 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में संविदा पर नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट/सहायक प्राध्यापकों एवं दंत चिकित्सा महा0 एवं अस्पताल में संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का अवधि विस्तार दिनांक-30.09.15 तक के लिए किया गया था।

विभागीय पत्रांक-189(17) दिनांक-01.04.15 के क्रम में विभागीय पत्रांक-1212(17) दिनांक-04.11.13 एवं 1228(17) दिनांक-14.11.2013 के शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के संविदा पर नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट/सहायक प्राध्यापकों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना में संविदा पर कार्यरत दंत चिकित्सक शिक्षकों का अवधि विस्तार दिनांक-31.03.2016 तक अथवा अभ्यर्थियों की उपलब्धता एवं उनका पदस्थापन होने तक जो भी पहले हो तक के लिए किया जाता है।

विश्वासभाजन

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 3-16/2006 - 615 (17) पटना, दिनांक- 01/10/15
प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (श्री शर्मा) के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा,17)एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी 1,7 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।